रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 18 1988/श्रावण 27, 1910
No. 8] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 18, 1988/SRAVANA 27, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली 18 अगस्त, 1988

अधिसूचना

का. नि. आ. (अ)—केन्द्रीय सरकार नौ सेना अधिनियम 1957 (1957 का 62) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि 18 अगस्त, 1988 से तीन मास की और अवधि के लिए और का. नि. आ. (अ) तारीख 20 मई 1987 द्वारा प्रकाशित

अधिसूचना के क्रम में श्री लंका में भारतीय शांति सेना मे सेवा या कर्तव्य, उक्त अधिनियम के अर्थ म और उसके प्रयोजनों के लिए सक्रिय सेवा होगी ।

[फाइल सं एम. एफ/एन एल/4438]

पी. राय, संयुक्त सचिव (नौ सेना)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 18th August, 1988

NOTIFICATION

S.R.O. No. 9(E) .—In exercise of the powres conterned by clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby declares that for a furthre period of three months with effect from 18 August, 1988, and in continuation of the notification published vide S.R.O. 4-E, dated 20 May, 1988, service or duty with the Indian Peace Keeping Force in Sri Lanka shall be active service within the meaning and for the purposes of the said Act.

[File No. MF|NL|4438]

P. RAY, Jt. Secy. ((NAVY)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988